पत्र संख्या– 1/प्रा0आ0–0–3–23/2018 (खंड)/......56....../आ0प्र0

**बिहार सरकार**

**आपदा प्रबंधन विभाग**

प्रेषक,

प्रत्यय अमृत,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
वैशाली/जमुई/गया/सीतामढ़ी।

पटना–15, दिनांक– 11/12/18

**विषयः– वर्त्तमान वित्तीय वर्ष–2018–19 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मुख्य शीर्ष–2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्यशीर्ष –02–बाढ़ –चक्रवात आदि, लघु शीर्ष –101– आनुग्रहिक राहत, उपशीर्ष –0016– राज्य की स्थानीय प्रकृति की आपदाओं से राहत हेतु अनुदान विपत्र कोड–39–2245021010016 मद में कुल ₹56.301 लाख (छप्पन लाख तीस हजार एक सौ रूपये) मात्र आवंटन की स्वीकृति।**

**आदेशः– स्वीकृत ।**

2. इस राशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018–19 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मुख्यशीर्ष –2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्यशीर्ष –02–बाढ़ –चक्रवात आदि, लघु शीर्ष –101– आनुग्रहिक राहत, उपशीर्ष –0016– राज्य की स्थानीय प्रकृति की आपदाओं से राहत हेतु अनुदान के अन्तर्गत प्रथम अनुपूरक आगणन द्वारा उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. वर्त्तमान आवंटित राशि की विवरणी लघुशीर्ष / उपशीर्षवार निम्न प्रकार है :

लघुशीर्ष –101– आनुग्रहिक राहत ।
उपशीर्ष –0016– राज्य की स्थानीय प्रकृति की आपदाओं से राहत हेतु अनुदान
मांग संख्या– 39 विस्तृत शीर्ष– 37–अनुग्रह अनुदान, विषय शीर्ष– 01–अनुग्रह अनुदान

(राशि रूपये लाख में)

| क्र0 | जिला का नाम | पूर्व आवंटित राशि | वर्तमान आवंटित राशि | कुल आवंटित राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | वैशाली | 233.20 (दो करोड़ तेतीस लाख बीस हजार) | 28.00 (अठाईस लाख) | 261.20 (दो करोड़ इकसठ लाख बीस हजार) |
| 2 | जमुई | 56.80 (छप्पन लाख अस्सी हजार) | 8.00 (आठ लाख) | 64.80 (चौसठ लाख अस्सी हजार) |
| 3 | गया | 112.344 (एक करोड़ बारह लाख चौतीस हजार चार सौ) | 4.00 (चार लाख) | 116.344 (एक करोड़ सोलह लाख चौतीस हजार चार सौ) |
| 4 | सीतामढ़ी | 184.00 (एक करोड़ चौरासी लाख) | 16.301 (सोलह लाख तीस हजार एक सौ) | 200.301 (दो करोड तीस हजार एक सौ) |
| कुल योग | | **586.344 (पाँच करोड़ छियासी लाख चौतीस हजार चार सौ)** | **56.301 (छप्पन लाख तीस हजार एक सौ)** | **642.645 (छः करोड़ बेयालीस लाख चौसठ हजार पाँच सौ)** |

4. यह आवंटन जिला पदाधिकारी, वैशाली के पत्रांक 889 दिनांक 08.11.18, 996 दिनांक 28.11.18, 880 दिनांक 05.10.18, 952 दिनांक 10.11.18, 955 दिनांक 10.11.18, 953 दिनांक 10.11.18 एवं 954 दिनांक 10.11.18/जमुई के पत्रांक 254 दिनांक 03.10.18 एवं 263 दिनांक 24.10.18/गया के पत्रांक 2605 दिनांक 16.08.18/सीतामढ़ी के पत्रांक 02 दिनांक 25.11.18 द्वारा की गई अधियाचना के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। **जिला पदाधिकारियों से अनुरोध है कि वे विभागीय अधिसूचना संख्या 1418/आ0प्र0 दिनांक 17.04.15 एवं 1891/आ0प्र0 दिनांक 16.07.18 के आलोक में स्वयं संतुष्ट हो लें कि 'घटना राज्य की विशेष स्थानीय प्रकृति की आपदाओं की श्रेणी में ही आती है।' संतुष्ट होने के उपरान्त राज्य की विशेष स्थानीय प्रकृति की आपदा की श्रेणी की घटना के लिए ही राशि का भुगतान सुनिश्चित किया जाय। मृत/घायल व्यक्तियों के आश्रितों को इस राशि का भुगतान कर विभाग को इसकी सूचना अविलम्ब दी जाय।**

5 आवंटित राशि का व्यय उसी मद में किया जाय जिस मद के लिए राशि का आवंटन किया गया है। किसी भी अन्य मद में इस राशि का विचलन नही किया जाय अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे।

6. आपदा प्रभावित परिवारों को देय अनुदान की राशि का भुगतान करने के संबंध में विभागीय पत्रांक 1642/आ0प्र0 दिनांक 22.04.16 द्वारा निर्गत निदेश का पालन सुनिश्चित किया जाय।

**7 आवंटित की गई राशि की निकासी यथासंभव Fully Vouched Bill के माध्यम से ही की जाय। अपरिहार्य कारणवश ही राशि की अग्रिम निकासी ए0सी0 विपत्र के माध्यम से की जाय। अग्रिम तौर पर निकासी के बाद व्यय की गई राशि का डी0सी0 बिल महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को बिहार वित्त नियमावली के प्रावधानों के अनुसार निर्धरित समय सीमा में भेजते हुए उसकी प्रति, व्यय प्रतिवेदन एवं भारत सरकार के विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र इस विभाग को शीघ्रातिशीघ्र एवं अचूक रूप से दिनांक 15.03.2019 तक अवश्य भेज दिया जाय।**

8. पूर्व आवंटित राशि, जिसकी निकासी अग्रिम तौर पर की गई है, यदि पूर्णतः व्यय नही हो पाय, तो 15.03.2019 तक उसे कोषागार में जमा करा दिया जाय।

9. आवंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य बजट शीर्ष/ उप मुख्य शीर्ष– लघु शीर्ष/ उपशीर्ष तथा विपत्र कोड का उल्लेख स्पष्ट रूप से की जाय। विपत्र पर सही शीर्ष/ उपशीर्ष का मुहर लगाया जाय अन्यथा आंकड़े के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

10. इस राशि का व्यय वित्त विभागीय ज्ञापांक 2561/वि0(2) दिनांक–17.04.98 के आलोक में की जाय। व्यय की गई राशि का महालेखाकार कार्यालय से नियमित रूप से मिलान कराया जाय।

11. यदि उपरोक्त आवंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके, तो अवशेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक 15.03.2019 तक निश्चित रूप से कर दें अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे। राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जाय।

12. इस आवंटन आदेश के प्राप्ति के पश्चात पत्र की एक प्रति पर "आवंटन प्राप्त हुआ", यह सम्पुष्टि उल्लिखित करते हुए तुरंत रिटर्न फैक्स से विभाग को सूचित किया जाय।

13. इस आवंटन की सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना, वित्त विभाग (बजट) को भी दी जा रही है। इसकी प्रतिलिपि संबंधित कोषागार पदाधिकारी को दी जा रही है।

14. मासिक व्यय प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 7वीं तारीख तक अनिवार्य रूप से भेजना सुनिश्चित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

प्रधान सचिव

ज्ञापांक–56/आ0प्र0, पटना–15, दिनांक– 11/12/18

प्रतिलिपिः महालेखाकार, बिहार, पटना/ वित्त विभाग (बजट) पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक–56/आ0प्र0, पटना–15, दिनांक– 11/12/18

प्रतिलिपिः जिला कोषागार पदाधिकारी, वैशाली/जमुई/गया/सीतामढ़ी को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक–56/आ0प्र0, पटना–15, दिनांक– 11/12/18

प्रतिलिपिः संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक –......56....../आ0प्र0, पटना–15, दिनांक– 11/12/18

प्रतिलिपिः माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक–......56....../आ0प्र0, पटना–15, दिनांक– 11/12/18

प्रतिलिपिः विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ विशेष कार्य पदाधिकारी (बजट)/सांख्यिकी पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी (बजट)/ कार्यवाहक सहायक/ आई0टी0 मैनेजर/प्रभारी, राज्य आपातकालीन संचालन केन्द्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव